

पत्रांक ६/२ आयु०क०उत्तरा० / विधि-अनुभाग / वाणिज्य कर / देहरादून / २००८-०९

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि-अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून २२ मई '०८

समस्त डिप्टी कमिशनर(क०नि०)वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन लिए जाने की व्यवस्था में व्यापारी द्वारा प्रान्तीय व केन्द्रीय पंजीयन प्राप्त करने के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाता है। व्यापारी को उनके आवेदन पर प्रान्तीय व केन्द्रीय पंजीयन संख्या अलग-अलग आवंटित की जाती है। प्रान्तीय पंजीयन संख्या खण्डों से कम्प्यूटर साफ्टवेयर द्वारा जनित जारी की जाती है। केन्द्रीय पंजीयन संख्या ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) कार्यालय से जारी की जाती है। यह महसूस किया गया है कि केन्द्रीय पंजीयन संख्या जारी करने की इस प्रक्रिया में काफी समय खराब होता है।

वर्तमान वैट व्यवस्था में टिन न० को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। यह नम्बर पूरे देश में हर व्यापारी का यूनीक (Unique) है। अतः ऐसी स्थिति में केन्द्रीय पंजीयन संख्या अलग से जारी करने की आवश्यकता पर विचार किया गया। कुछ राज्यों जैसा कर्नाटक द्वारा केन्द्रीय पंजीयन संख्या अलग से जारी न करके टिन नम्बर को ही केन्द्रीय पंजीयन संख्या के रूप में लिख जा रहा है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा मत व्यक्त किया गया है कि केन्द्रीय पंजीयन के सम्बन्ध में टिन नम्बर देने की अनिवार्यता कानूनन नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि अब व्यापारी को केन्द्रीय पंजीयन संख्या अलग से जारी नहीं किया जाएगा। व्यापारी टिन नम्बर को ही केन्द्रीय पंजीयन संख्या के रूप में प्रयोग करेंगे। पंजीयन module सम्बन्धी application software के अनुलग्न खण्ड/मंडल कार्यालयों में केन्द्रीय पंजीयन प्रार्थना पत्र रूप पत्र 'A' की प्रविष्टियों का कम्प्यूटरीकरण तथा पंजीयन जारी करने से पूर्व की प्रक्रिया का अनुसरण पूर्वतः किया जाता रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

/(एल०एम० पन्त)

आयुक्त कर

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पूर्णसं दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3- अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून / कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 5- एडिशनल कमिशनर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6- समरत ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून / हरिद्वार / कालीगुरु / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियोगी कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / उद्योग / व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7- ज्वाइन्ट कमिशनर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी।
- 8- ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा० / प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार / रुद्रपुर।
- 9- परिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशुष्य से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 10- पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी०ओ०य०० परियोजना कार्यालय, आई०आई०टी० रुडकी।
- 11- श्री सी०एस०बनर्जी, वाणिज्य कर अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र रकैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12- नेशनल लॉ हाउस बी-२ मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 13- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस-१५/५ राजनगर गाजियाबाद।
- 14- लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 15- कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 16- विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

26/५/२००८

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड, देहरादून।